न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 02/2023

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		1 दिनेश सांखला पुत्र गुलाबचंद मालिक मैसर्स सांखला टी स्टाल वल्लभ चौक, नागौर 2 शंकरलाल पुत्र झुमरराम जाति हरिजन निवासी कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चुरू।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया
2. श्री अमित कुमार बारूपाल अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक** –04.04.2023

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 29 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, ओमनी वाहन नम्बर आर.जे. 02 यूए 1684 मय गैस किट, 3 एचपी की इलेक्ट्रानिक मोटर उषा कम्पनी, 2 पाईप जिनकी लम्बाई 2 फुट व 10 फुट, इलेक्ट्रॉनिक तार मय थ्री पिन फिलिप्स कम्पनी मय रेग्यूलेटर को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री अमित कुमार बारूपाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.2022 को सुनील पंवार उपखण्ड अधिकारी नागौर, अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर एवं दिव्या बिश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, नागौर द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की मुखबिर की सूचना के आधार पर दिव्या बिश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक को मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के आस पास भेजा। कुछ समय पश्चात् दिव्या बिश्नोई द्वारा बताया कि सांखला टी स्टॉल पर एक ओमनी वाहन आकर खडा हुआ है और सांखला टी स्टॉल पर खडे एक व्यक्ति गैस भरने के लिए गैस का सिलेण्डर के साथ रेग्यूलेटर लगी पाईप को गाडी में लगाया। दिव्या बिश्नोई का इशारा मिलते ही मैसर्स सांखला टी स्टाल पर पहुंचकर जांच की गई। वक्त जांच मौके पर एक वाहन आर.जे. 02 यूए. 1684 ओमनी सफेद रंग जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस भरी जा रही थी। सिलेण्डर रेग्यूलेटर के साथ एक पाईप जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जुडी हुई पायी गई। इलेक्ट्रोनिक मोटर के दूसरे सिरे पर प्लास्टिक की पाईप के साथ रेग्यूलेटर जुडा हुआ था जो वाहन की गैस की टंकी के साथ जुडा हुआ था। इलेक्ट्रीक तार जुडा हुआ था जो कि बिजली के बोर्ड में लगा हुआ था। जांच टीम को देखते ही मौके पर उपस्थिति एक व्यक्ति सिलेण्डर को खोलकर व साथ लेकर दुकान के पीछे भाग गया व सिलेण्डर को फेंक दिया। जो व्यक्ति सिलेण्डर लेकर भागा उसको टीम के सदस्य दिव्या बिश्नोई ने उसके पीछे भागकर उसको बुलाकर मौके पर लायी। मौके पर पूछताछ करने पर उसे अपना नाम दिनेश सांखला पुत्र गुलाबचंद जाति माली निवासी राठौडी कुआ नागौर होना बताया एवं स्वयं को साखला टी स्टॉल का मालिक बताया एवं बताया कि उसके द्वारा ही गाडियों में गैस भरने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर दिनेश सांखला के समक्ष दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान के फर्श के नीचे एक टैंक की तरह बना हुआ था जो कि दुकान फर्श पर एक लोहे का ढक्कन लगा हुआ पाया गया। ढक्कन को ऊपर उठाकर देखा तो नीचे लगभग 3 फीट गहरा टैंकनुमा बना हुआ था। जिसमें 2 सिलेण्डर रखे हुए थ। एक सिलेण्डर रिलायंस कम्पनी का और दूसरा एचपी कम्पनी का रखा हुआ पाया गया। दोनों सिलेण्डरों को बाहर निकाला। चाय की स्टॉल से लगती एक अन्य दुकान थी जिसका ताला खुलवाकर जांच की तो उसमें 26 सिलेण्डर घरेलू गैस के पाये गये। इसके बलावा 3 एचपी की इलेक्ट्रीक मोटर कम्पनी (उषा) जिसमें एक सिरे पर दो पाईप जिनकी

अपर कलेक्टर, नागौर

लम्बाई 2 फीट व 10 फीट दोनों पाईपों पर लगे दो रग्यूलेटर मोटर के इलेक्ट्रीक तार लगा हुआ पाया गया। दिनेश सांखला से गाडियों में गैस भरने एवं गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पुछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। दिनेश सांखला ने बताया कि गाडियों में गैस भरने का कार्य लम्बे समय से किया जा रहा है। वाहन के मालिक से वाहन के दस्तावेज यथा आरसी, इंश्योरेंस मांगने पर उपलब्ध नहीं करवाया। मौके पर उपस्थित वाहन मालिक ने अपना नाम शंकरलाल पुत्र झूमरराम उम्र 24 वर्ष जाति हरिजन निवासी कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चुरू होना बताया। उन्होंने बताया कि इनके पिताजी की तबीयत खराब होने से वह पिताजी को दिखने नागौर आया था। पिताजी को दिखाकर वापिस जा रहा था कि गाडी में कुछ खराबी होने के कारण वल्लभ चौराहा पर एक मिस्त्री को गाडी को दिखाया। मिस्त्री से पुछताछ करने पर बताया कि पास में ही सांखला टी स्टॉल है जहां पर गाडियों में गैस भरने का काम होता है। मैं गाडी लेकर सांखला टी स्टाल पर गया तो वहां खडे दुकान वाले ने बताया कि 1150 रूपये एक सिलेण्डर गैस सिलेण्डर गैस भरने के लगेंगे। मैंने गैस भरवाना शुरू ही किया था कि अचानक टीम आयी और गैस भरने का काम रूक गया। दिनेश सांखला व शंकर द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर घरेलू गैस के 29 घरेलू सिलेण्डर मय गैस, वाहन एवं अन्य सामग्री को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1)—वक्त जांच अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग पाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	सिलेण्डर का कुल वजन
1	बीपीसीएल	578612-T	खाली
2	एच.पी.	180312-S	
3	एच.पी.	742076T	0.3 किग्रा
4	एच.पी.	237827E	खाली
5	एच.पी.	898953S	खाली
6	एच.पी.	69801	खाली
7	एच.पी.	79949T	0.2 किग्रा
8	एच.पी.	8351T	0.3 किग्रा
9	एच.पी.	44354S	0.3 किग्रा
10	एच.पी.	400092-T	0.4 किग्रा
11	एच.पी.	14137S	खाली
12	एच.पी.	438135	खाली
13	एच.पी.	353216T	खाली
14	एच.पी.	1798985	खाली
15	एच.पी.	62412S	खाली
16	एच.पी.	124507T	खाली
17	एच.पी.	19205T	0.2 किग्रा
18	एच.पी.	716342S	0.3 किग्रा
19	बीपीसीएल	280939T	खाली
20	एच.पी.	237012T	खाली
21	एच.पी.	281331S	खाली
22	एच.पी.	340321	खाली
23	एच.पी.	107974T	खाली
24	एच.पी.	919414S	14.1 किग्रा
25	एच.पी.	290798T	14.5 किग्रा
26	एच.पी.	894369S	14.2 किग्रा
27	एच.पी.	524647T	14.2 किग्रा
28	एच.पी.	174964F	14.2 किग्रा
29	रिलांयस	41203E	खाली

उपरोक्त 29 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, ओमनी वाहन नम्बर आर.जे. 02 यूए 1684 मय गैस किट, 3 एचपी की इलेक्ट्रानिक मोटर उषा कम्पनी, 2 पाईप जिनकी लम्बाई 2 फुट व 10 फुट, इलेक्ट्रॉनिक तार मय थ्री पिन फिलिप्स कम्पनी मय रेग्यूलेटर को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स नागौर गैस सर्विस, नागौर के प्रतिनिधि आन्नदकुमार अग्रवाल की सुपुर्दगी में दिये जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

अपर कलक्टर, नागौर

इस प्रकार दिनेश सांखला व शंकर का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में उपयोग विनियमन) आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 29 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, ओमनी वाहन नम्बर आर.जे. 02 यूए 1684 मय गैस किट, 3 एचपी की इलेक्ट्रानिक मोटर उषा कम्पनी, 2 पाईप जिनकी लम्बाई 2 फूट व 10 फूट, इलेक्ट्रॉनिक तार मय थ्री पिन फिलिप्स कम्पनी मय रेग्यूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 पांच वर्ष से चाय बेचता है, परिवार का भरण पोषण करता है। पास में ही गैस एजेन्सी है आस–पास के ग्रामीण अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान पर सिलेण्डर रखते है। दिनेश सांखला के हस्ताक्षर फर्जी है। अप्रार्थी संख्या 02 शंकरलाल के पिता बीमार थे, पिता गाडी में बैठ कर चाय पी रहे थे। अधिवक्ता ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 02 के पिताजी बीमारे रहते हैं उनको अस्पताल में दिखाने के लिए प्रतिदिन आना जाना पडता है इसलिए जब्त की गई गाडी की आवश्यकता है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 17.12.2022 को सुनील पंवार उपखण्ड अधिकारी, नागौर, अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर एवं दिव्या बिश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर वाहन ओमनी आर.जे. 02 यूए. 1684 मय गैस किट एवं 29 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 3 एचपी की इलेक्ट्रानिक मोटर उषा कम्पनी, 2 पाईप जिनकी लम्बाई 2 फूट व 10 फूट, इलेक्ट्रॉनिक तार मय थ्री पिन फिलिप्स कम्पनी मय रेग्यूलेटर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 दिनेश सांखला से पूछताछ करने पर उसके पास गैस सिलेण्डर सप्लाई के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थीगण का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a) (b)(C) एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में उपयोग विनियमन) आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघन है जो दण्डनीय अपराध है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा ओमनी वाहन आरजे 02 यूए 1684 मय गैस किट, 3 एचपी की इलेक्ट्रॉनिक मोटर उषा कम्पनी, 2 पाईप जिनकी लम्बाई 02 फूट एवं 10 फूट, इलेक्ट्रॉनिक तार मय थ्री पिन फिलिप्स कम्पनी मय रेग्यूलेटर एवं पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 29 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त जब्तसुदा वाहन का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प मे अप्रार्थी 02 शंकरलाल पुत्र झुमरराम जाति हरिजन निवासी कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चुरू पर रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है, जुर्माना राशि 30 दिवस में जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं, 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया),
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर